भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1093

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में यमुना जल की आपूर्ति

1093. श्री राहुल कस्वां:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा आवंटन के बावजूद भी ताजेवाला शीर्ष से राजस्थान को यमुना जल का उपयुक्त हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान के चुरु और झुनझुनू के लिए ताजेवाला शीर्ष से यमुना जल देने हेतु हरियाणा सरकार को निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ख) राजस्थान, ताजेवाला और ओखला वितरण बिन्दु से यमुना जल का अपना हिस्सा प्राप्त करता है। राजस्थान को हरियाणा क्षेत्र से गुजरने वाले राजस्थान के हिस्से के ट्रांसपोर्ट के लिए नहर प्रणाली पर राजस्थान और हरियाणा राज्यों के बीच किसी भी समझौते के मौजूद नहीं होने के कारण ताजेवाला बैराज से यमुना जल का उसको आवंटित हिस्सा नहीं मिल रहा है।

(ग) से (घ) हरियाणा सहित सभी सह-बेसिन राज्यों की भागीदारी के साथ ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की दिनांक 15.02.2018 को आयोजित 7वीं बैठक में 'भूमिगत परिवहन प्रणाली द्वारा राजस्थान के चुरू तथा झुंझून जिले को ताजेवाला हेडवर्क्स पर यमुना जल के राजस्थान के हिस्से का स्थानांतरण' के लिए राजस्थान सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का परामर्श दिया गया था। उक्त को राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग में जमा कराया गया है।

*****